न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0 92/2021 — तारीख फैसला 12.11.2022

उनवान

1— रामप्यारी उर्फ रामभरोसी बाई पुत्री औकार पत्नी फुलचन्द जाति माली निवासी बोरखेड़ा तहसील दीगोद हाल निवास गली नं0 21 अर्जुनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

2— जानकी बाई उर्फ ज्यानी बाई पुत्री औंकार पत्नी कल्याण प्रसाद जाति माली निवासी खण्डगांव तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादीगण)

बनाम

1— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादीनी की ओर से — श्री गिरिराज प्रसाद मीणा एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से— तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

वादीगण ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :—

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम बोरखेडा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादीनीगण व अन्य सहखातेदार की शामलाती आराजी खसरा नम्बर 11 रकबा 1.50 हे0, खसरा नम्बर 137 रकबा 0.25 हे0, खसरा नम्बर 315 रकबा 0.04 हे0, कुल किता 3 रकबा 1.79 हे0 भूमि दर्ज रिकॉर्ड चली आ रही है। जिसमें वादीनीगण का नाम रामभरोसी ओर ज्यानी अंकित है। नकल जमाबन्दी संलग्न है।

यह कि वादीगण का नाम नामा0 दर्ज करते समय बोलते नाम रामभरोसी और ज्यानी के नाम से नामा0 दर्ज कर दिया गया है। जबकि वादीगण का नाम दस्तावेजों में रामभरोसी का रामप्यारी और ज्यानी का जानकी बाई है। जिससे वादीनीगण को सरकारी योजनाओं में किसान क्रेडिड कार्ड आदि लेने में परेशानी आ रही है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

यह कि उक्त वादीनीगण का नाम आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी आदि में वादीनीगण का नाम जमाबन्दी में रामभरोसी और ज्यानी होने से सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में परेशानी आ रही है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

यह कि उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम रामप्यारी के स्थान पर रामभरोसी उर्फ रामप्यारी और ज्यानी उर्फ जानकी बाई के स्थान पर ज्यानी दर्ज कर

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद, कोटा (राज.)

...। है जो गलत है। उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम रामभरोसी के स्थान पर रामप्यारी और ज्यानी के स्थान पर जानकी बाई दर्ज किया जाकर रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना आवश्य है।

अतः वाद प्रस्तुत कर वादीनीगण का निवेदन है कि वादीनी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्व निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे कि:—

अतः वादीनीगण ने निवेदन किया है कि ग्राम बोरखेडा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादीनीगण व अन्य सहखातेदार की शामलाती आराजी खसरा नम्बर 11 रकबा 1.50 हे0, खसरा नम्बर 137 रकबा 0.25 हे0, खसरा नम्बर 315 रकबा 0.04 हे0, कुल किता 3 रकबा 1.79 हे0 भूमि में वादीनी का नाम रामभरोसी के स्थान पर रामप्यारी उर्फ रामभरोसी और जानकी बाई उर्फ ज्यानी दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरूद्व आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद जर्ये नायब तहसीलदार सुल्तानपुर ने अपने जवाब में रामप्यारी व रामभरोसी तथा ज्यानी व जानकी बाई एक ही महिला होना प्रकट किया है। वादीनीगण द्वारा साक्ष्य में स्वंय के शपथ पत्र एवं अन्य सहखातेदार का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जो शामिल फाईल है।

वादीनीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादीनीगण का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादीनीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बोरखेडा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादीनीगण व अन्य सहखातेदार की शामलाती आराजी खसरा नम्बर 11 रकबा 1.50 हे0, खसरा नम्बर 137 रकबा 0.25 हे0, खसरा नम्बर 315 रकबा 0.04 हे0, कुल किता 3 रकबा 1.79 हे0 भूमि में वादीनी का नाम रामभरोसी के स्थान पर रामप्यारी उर्फ रामभरोसी तथा ज्यानी के स्थान पर जानकी बाई उर्फ ज्यानी दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में सुनाया गया।

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद, कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति दीगोद जिला कोटा (राज.)